बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–आवंटन(योजना–0206)–254 / 2017 ....

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :

विषय :– केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP/DILRMP के अन्तर्गत Computerisation for Registration अवयव में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष– 2008–09 से 2013–14 तक कुल विमुक्त राशि 73,09,190/–(तेहत्तर लाख नौ हजार एक सौ नब्बे) रूपये मात्र में से **56,29,190/–(छप्पन लाख उन्तीस हजार एक सौ नब्बे)** रूपये मात्र का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP/DILRMP के अन्तर्गत Computerisation for Registration अव्यव में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष– 2008–09 से 2013–14 तक कुल विमुक्त राशि 73,09,190/–(तेहत्तर लाख नौ हजार एक सौ नब्बे) रूपये मात्र में से **56,29,190/–(छप्पन लाख उन्तीस हजार एक सौ नब्बे)** रूपये मात्र का आवंटन निर्गत किया जाता है।

2. यह आवंटन मुख्य शीर्ष – 2029 – भू–राजस्व –उप–मुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष – 103 – भू–अभिलेख – उप–शीर्ष – 0206 – राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (मांग संख्या – 40), विपत्र कोड 40– 2029001030206, ईकाई कोड– 28 02 विषय शीर्ष– संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष– 2017–18 में निर्गत किया जाता है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक – 2450/वि0 (2) दिनांक 17.04.1999, एवं विभागीय राज्यादेश/स्वीकृत्यादेश सं0 687 दिनांक 19.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

4. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या – 40 एवं विपत्र कोड **40 – 2029001030206** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

6. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाए, ताकि भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जा सके।

7. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नही समझा जाये तथ भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। **तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।**

9. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

ह0/–

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना–0206)–254/2017................. **पटना, दिनांक**

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना–0206)–254/2017................. **पटना, दिनांक**

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 17–आवंटन(योजना–0206)–254/2017................. **पटना, दिनांक**

प्रतिलिपि :– प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 17–आवंटन(योजना–0206)–254/2017...10 (आ0स0) **पटना, दिनांक** 19/7/2017

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने एवं श्री संतोष कुमार, लेखापाल, पी0एम0यू0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/17

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप